संख्या-109/71-2-15-529/90

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2015

विषय- इन्टर्नशिप प्रशिक्षण हेतु नीति निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0-3/इन्टर्नशिप/2014/4334 दिनांक 19.12.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों/उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान सैफई, इटावा/किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ में अध्ययनरत् छात्रों द्वारा स्नातक स्तर की शिक्षा पूर्ण करने के उपरान्त इन्टर्नशिप प्रशिक्षण हेतु शासन द्वारा पूर्व में समय-समय पर निर्गत इन्टर्नशिप प्रशिक्षण हेतु समस्त आदेशों को अवक्रमित करते हुए सम्यक विचारोपरान्त इन्टर्नशिप प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु एतद्द्वारा वर्तमान शैक्षणिक सत्र से निम्नवत नीति निर्धारित की जाती है:-

1. प्रत्येक मेडिकल कालेज/चिकित्सा विश्वविद्यालय/संस्थान में एम0बी0बी0एस0 सीट की प्रवेश क्षमता के समान ही इन्टर्नशिप की सीटें स्वतः अनुमन्य की जाए।
2. इन्टर्नशिप की कुल सीटों के सापेक्ष बजट का आवंटन चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के वित्त नियंत्रक द्वारा संबंधित मेडिकल कालेज/चिकित्सा विश्वविद्यालय/संस्थान को आवंटित किया जाये।
3. संबंधित मेडिकल कालेज/चिकित्सा विश्वविद्यालय/संस्थान से उत्तीर्ण छात्रों हेतु यह निर्देश जारी किए जाएं कि वह अपने मेडिकल कालेज से ही इन्टर्नशिप पूर्ण करें तथा अपरिहार्य परिस्थितियों में ही उनके अभिभावक के गृह जनपद के अथवा अन्य उपयुक्त जिला चिकित्सालय में स्थानान्तरण अनुमन्य किया जाए। उपरोक्तानुसार स्थानान्तरण तभी अनुमन्य किया जाए जब संबंधित मेडिकल कालेज तथा छात्र का गृह जनपद भिन्न हो।
4. संबंधित मेडिकल कालेज से उत्तीर्ण छात्र को यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में उपरोक्त बिन्दु-3 के अनुसार जिला चिकित्सालयों में इन्टर्नशिप प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, तो भी स्टाइपेन्ड का भुगतान उसी मेडिकल कालेज से किया जाये जहॉ से छात्र ने एम0बी0बी0एस0 परीक्षा उत्तीर्ण की है।

2- कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(1992) Recd at 7.40 PM
D(ME)/AO3
31/3/2015

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

संख्या-109(1)/71-2-15-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
3. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ/निदेशक, उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान सैफई, इटावा/प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
6. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।